

BRUEAU OF INDIAN STANDARDS
(Establishment Department)

Our Ref: Estt/29:1/2/1/2015
(old No. Estt. III/Gen:47)

Dated: 7 Sept 2015

Subject: **Extension of CGHS facilities to BIS Pensioners / Family Pensioners residing in Delhi & NCR**

C I R C U L A R

Further to Circular of even number dated 30 June 2015, it is informed that as decided by the Competent Authority, medical facilities under CS (MA) Rules have been extended for a further period of one month i.e. upto 30 September 2015 for the pensioners / family pensioners of BIS residing in Delhi & NCR, who have not yet been issued CGHS Cards.

2. It is again informed that the CGHS facilities will be compulsory for the Pensioners / Family Pensioners residing in Delhi & NCR. Therefore, Pensioners / Family Pensioners residing in Delhi & NCR, who have not yet submitted their Application Form for CGHS Card, are advised to submit duly filled in Application Form alongwith the prescribed Undertaking in Establishment Department / HRD Department, **IMMEDIATELY**, as the medical facilities under CSMA Rules shall not be extended beyond 30 Sept. 2015.

Sd/-
(N. Ravi Shankar)
Director (Establishment)
Email ID: dest@bis.org.in

Issued for information and compliances by all concerned:

On BIS Website and BIS Intranet

भारतीय मानक ब्यूरो

(स्थापना विभाग)

हमारा संदर्भ: स्था/29:1/2/1/2015

दिनांक: 7 सितंबर 2015

(पुराना नं. स्था- III/सामान्य :47)

विषय : भारतीय मानक ब्यूरो के दिल्ली व एन.सी.आर. में रहने वाले पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए सी.जी.एच.एस. सुविधाओं का विस्तार।

परिपत्र

30 जून 2015 के सम संख्या परिपत्र के आगे, यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के दिल्ली व एन.सी.आर. में रहने वाले पेंशनरों / परिवार पेंशनरों, जिनको अभी तक सी.जी.एच.एस. कार्ड जारी नहीं हुए हैं, सी.एस.(एम.ए.) के नियम के तहत उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं अगले एक माह के लिए यानि 30 सितंबर 2015 तक बढ़ा दी गई हैं।

2. यह फिर से सूचित किया जाता है कि सी.जी.एच.एस. सुविधाएं दिल्ली व एन.सी.आर. में रहने वाले पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए दिल्ली व एन.सी.आर. में रहने वाले पेंशनरों / परिवार पेंशनरों, जिन्होंने सी.जी.एच.एस. कार्ड हेतु आवेदन पत्र जमा नहीं किए हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे विधिवत भरे आवेदन पत्र, निर्धारित वचन पत्र के साथ स्थापना विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग में तुरंत जमा कराएं क्योंकि सी.एस.(एम.ए.) के नियम के तहत चिकित्सा सुविधाओं को 30 सितंबर 2015 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

हस्ता/-

(एन. रविशंकर)

निदेशक (स्थापना)

□ मेल आड्री : dest@bis.org.in

सभी संबद्ध द्वारा सूचना व अनुपालन हेतु जारी

बीआएस वेबसाइट व बीआएस इन्टरनेट पर